संख्या-776/2026/ 679पी/26-27-सिं0-4/001-ई-1845395

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 22 **अक्टूबर**, **2026**

विषय: मॉट शाखा नहर के कि0मी0 28.500 एवं 52.800 पर क्रास रेगुलेटर एवं कि0मी0 27.145 पर पुल का निर्माण कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-207/1436/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तथा शासनादेश संख्या-587/2024/572पी/24-27-सिं0-4/001-209-डब्ल्यू-परि0-2024, दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-94 लेखा शीर्षक 4700-04-051-10-14-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना के कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 320.06 लाख (रुपये तीन करोड़ बीस लाख छह हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य के सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,20,06,000 (**रुपये तीन करोड़ बीस लाख छह हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 2026-27 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4700040511014 **सम्बद्ध कार्य मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -** 1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या -** 4/2026/**बी-**1-812/**दस-**2026-231/2026, **दिनांक-** 28-**मार्च**, 2026 **में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-776**/2026/ 679पी/26-27-सिं0-4/001-ई-**1845395 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बुलन्दशहर, उ0प्र0।
8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।